

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26679/2026**

सवेज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: पंकज भारती

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67**माननीय जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री पंकज भारती, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री उमा शंकर मिश्रा को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत, आवेदक की ओर से थाना-कांधला, जनपद-शामली में बी.एन.एस. की धारा 69, 64(1), 61(2) (ए), 351(2) तथा धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 218/2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता कहते हैं कि प्रथम सूचनाकर्ता को नोटिस तामील करा दिया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पीड़िता के बयान के अवलोकन से, प्रतीत होता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी तथा उसकी चिकित्सकीय-कानूनी रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने के आरोप का समर्थन नहीं करती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवेचना के दौरान कथित वीडियो अथवा फोटो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बरामद नहीं हुआ है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कक्षा 5वीं के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 16 वर्ष 5 माह पाई गई है और उसे उक्त विद्यालय में केवल कक्षा 5वीं में प्रवेश दिलाया गया था तथा पांच माह बाद उसका नाम विद्यालय से वापस ले लिया गया। यह आगे प्रस्तुत है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार भी पीड़िता की आयु लगभग 16-17 वर्ष है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 05.06.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा वह वचन देता है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है, वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालयों में मामलों की भारी लंबितता के कारण, मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

5. वहीं दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत करते हैं कि कक्षा 5वीं के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 16 वर्ष 5 माह है और रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार लगभग 16-17 वर्ष है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाना बताया गया है और यह भी कहा गया है कि उसने उक्त घटना का वीडियो बनाया था। एफआईआर में घटना की तारीख एवं समय अथवा पीड़िता की आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पीड़िता के बयान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी, क्योंकि उसने कहा है कि वह पिछले तीन वर्षों से आवेदक को जानती थी और उसे पसंद करती थी तथा वह उससे विवाह भी करना चाहती थी। पीड़िता की मेडिको-लीगल रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने के आरोप का समर्थन नहीं करती है तथा विवेचना के दौरान कथित वीडियो या फोटो भी बरामद नहीं हुआ है। कक्षा 5वीं के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 16 वर्ष 5 माह पाई गई है तथा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उसने उक्त विद्यालय में केवल कक्षा 5वीं में प्रवेश लिया था और पांच माह बाद उसका नाम विद्यालय से वापस ले लिया गया। रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 16-17 वर्ष पाई गई है। आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 05.06.2026 से जेल में निरुद्ध है।

7. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत दिए जाने के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **सवेज** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन के गवाहों पर कोई दबाव नहीं डालेगा/न ही डराएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय किए जाने, तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत तिथियों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि को गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि को वह साक्ष्य के लिए कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि को विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल वर्तमान जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्त राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर इस आदेश में कही गई किसी बात से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अगस्त 14, 2026



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।